रजिस्ट्रेशन क्रम-संख्या—19 (क)

रजि. डी. एल. डब्ल्यू./एन. पी. 850
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जनवरी, 2000

पौष 23, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 86/सत्रह-वि-1—1(क)-42-99

लखनऊ, 13 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 10 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 9 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(55)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1999 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

3—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।